

फर्द अहकाम

2020 परकर

बनाम

शुद्धाश्याम

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या: 05/2023

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	23.12.25	<p>बकुलाबे फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 13.01.26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">①</p>	
	13.1.26	<p>बकुलाबे फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 10.2.26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">①</p>	
	19/01/26	<p>पत्रावली आज्ञा जारी/फरद अहकाम द्वारा आज्ञा बाबर पत्रावली आज्ञा की तलब कर विद्दो का पेश करने पर निपट किया से पूर्व तलब की गई। आज्ञा के अंतर्गत आज्ञा कर पत्रावली को विद्दो वर धारण करे छे निपेटन किया। बहस पर मजिस्ट्रेट किया। पत्रावली का अकलोकन किया गया। आज्ञा का अंतर्गत पर स्वीकार कर वापिस भिजल किया गया। पत्रावली की स्तर पर विद्दो कर धारण की जाती है। पत्रावली भिजल हुआ है। जिन गंभीर से कानून के पास वापिस आया है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)